देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित | www.page3news.in | नगर संस्करण वर्ष 15 अंक: 31 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...जीविका बचाने की जंग

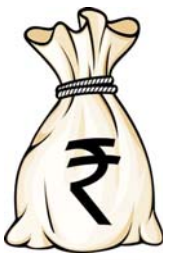

पेज थ्री

देहरादून, रविवार, 26 अप्रैल 2020

मौसम अधिकतम 28.0° न्यूनतम 18.0°

31327.22

2 चीन ने उत्तर कोरिया भेजे अपने डॉक्टर

7 कोहली को अब भी आईपीएल की उम्मीद

संक्षिप्त समाचार

देश में कोरोना से 24,506 बीमार, 775 मौत

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के अबतक 24 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 24,506 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 5,063 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जबकि 775 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली हैं। अकेले महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 6,817 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 301 लोगों लोगों की मौत हुई है।

राज्यों में सामान की आपूर्ती कर रहा इंडियन एयरफोर्स

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ 23 हजार को पार कर गया है। देश में लागू लॉकडाउन और कोरोना वायरस प्रकोप के बीच विभिन्न आईएएफ विमानों ने कोविड 19 संचालन के समर्थन में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए लगभग 500 टन की आपूर्ति की है। आईएएफ ने बताया कि विंग कमांडर सीजे चेतन, एक आईएल–76 विमान के कप्तान, जो दिल्ली से उन्होंने बताया कि आज हम मिजोरम और मेघालय के लिए लगभग 22 टन भार ले जा रहे हैं।

महंगाई भत्तों रोकने की कोई आवश्यकता नहीं: मनमोहन सिंह

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। सरकार द्वारा हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्तों सहित सभी पेंशनभोगियों की महंगाई राहत पर जुलाई 2021 तक रोक लगाई गई है। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस समय कर्मचारियों और सशस्त्र बलों पर इसे लागू करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सरकारी कर्मचारियों और सशस्त्र बलों पर इस समय ऐसी कठोरता थोपना ठीक नहीं है।

लॉकडाउन के बीच बड़ी राहत

अभी नहीं खुलेंगी नाई की दुकानें, रेस्तरां और शराब के ठेके

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के मद्देनजर देशभर में लागू हुए लॉकडाउन में सरकार ने छूट का दायरा बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच दुकानें खोलने को लेकर जो कन्फ्यूजन बना हुआ है उसे सरकार ने दोपहर में कुछ दूर करने की कोशिश की है। इसमें सलून, पॉर्लर और शराब की दुकानें खुलने का इंतजार कर रहे लोगों को निराशा हाथ लगी है। सरकार ने साफ कहा है कि आदेश में इन दुकानों को खोलने की कोशिश मंजूरी नहीं दी गई है। कहा गया कि जरूरत का सामान बेच रही दुकानों और हॉटस्पॉट से बाहर वाले इलाके (ज्यादातर ग्रामीण) में सभी दुकानें खोलने की इजाजत है।

दरअसल, शुक्रवार को देर रात केंद्र सरकार का ऑर्डर आया। उसमें कहा गया कि हॉस्पॉट को छोड़कर बाकी जगहों पर सभी तरह की दुकानें खोलने की इजाजत होगी। इसमें दुकाने के रजिस्टर होने जैसी शर्तें जोड़ी गई थीं।

सलून का जिक्र करते हुए पुण्य सलिला श्रीवास्तव (जॉइंट सेक्रटरी, गृह मंत्रालय) ने कहा कि सलून सर्विस देता है। फिलहाल ऐसी दुकानों को छूट है जो कुछ सामान बेचती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी रेस्तरां खोलने की भी इजाजत नहीं है।

ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुली रहेंगी

स्पष्टीकरण में गृह मंत्रालय ने अब बताया कि ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुली रहेंगी हालांकि मॉल्स को इजाजत नहीं है।

शहरी इलाकों में इन दुकानों को इजाजत

शहरी इलाकों में सभी स्टैंडअलोन शॉप्स, रिहायशी इलाकों की नजदीकी दुकानें और रेजिडेंशल कॉम्पलेक्सों के भीतर स्थित दुकानों को खोले जाने की इजाजत है। शॉपिंग मार्केट, मार्केट कॉम्पलेक्स और शॉपिंग मॉल्स को इजाजत नहीं है। हॉटस्पॉट इलाकों में भी दुकानें नहीं खुलेंगी।

ई-कॉमर्स कंपनियों पर क्या नियम

ई–कॉमर्स कंपनियां अभी गैरजरूरी सामानों की डिलिवरी नहीं कर सकेंगी। वह सिर्फ जरूरी सामानों की ही डिलिवरी जारी रखेंगी।

शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी

अपने स्पष्टीकरण में गृह मंत्रालय ने बताया है कि शराब और इस तरह की दूसरी चीजों की बिक्री पर रोक जारी रहेगी।

क्या है आदेश: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट 2005 के तहत 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब गैरजरूरी सामानों की दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है।

हॉटस्पॉट्स में नहीं खुलेंगी दुकानें

हॉटस्पॉट्स में गैरजरूरी सामानों की दुकानें अब भी नहीं खुल सकेंगी। कोरोना वायरस हॉटस्पॉट्स में केंद्र की तरफ से लॉकडाउन नियमों में दी गई ढील लागू नहीं होगी। जैसे गौतम बुद्ध प्रशासन ने स्पष्ट किया कि हॉटस्पॉट्स में कोई छूट नहीं दी जाएगी। नोएडा सेक्टर 22 कोविड–19 हॉटस्पॉट है, लिहाजा वहां केंद्र के नए नियम लागू नहीं होंगे।

सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानें ही खुलेंगी, बिना रजिस्ट्रेशन वाली नहीं

गृह मंत्रालय के आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि शॉप्स ऐंड इस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट के तहत विभिन्न राज्यों में रजिस्टर्ड दुकानों को ही खुलने की इजाजत है। जो दुकानें संबंधित राज्य में इस कानून के तहत पंजीकृत नहीं हैं, वे नहीं खुलेंगी। दरअसल किसी भी छोटी दुकान शुरू करने के लिए पंजीकरण करवाना जरूरी होता है।

जम्मू–कश्मीर प्रशासन ने 28 लोगों पर से हटाया पीएसए

महबूबा मुफ्ती को अब भी राहत नहीं

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

श्रीनगर। जम्मू–कश्मीर प्रशासन ने केन्द्र शासित प्रदेश और उससे बाहर जेलों में बंद 28 लोगों पर से जन सुरक्षा कानून (पीएसए) हटा दिया है। प्रशासन की ओर से जारी बयान के मुताबिक, जिन लोगों के ऊपर से पीएसए हटाया गया है उनमें एक प्रमुख व्यक्ति कश्मीर व्यापार और विनिर्माण संघ (केटीएमएफ) और कश्मीर इकॉनमिक अलायंस (केईए) के मुखिया मोहम्मद यासीन खान का नाम भी शामिल है। खास बात यह है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (च्क्च्) चीफ महबूबा मुफ्ती को अब भी राहत नहीं दी गई है।

केन्द्र सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू–कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेकर उसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था, जिसके बाद मुख्यधारा के नेताओं समेत राज्य में सैकड़ों लोगों को पीएसए कानून के तहत हिरासत में ले लिया गया था। इनमें से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला समेत कई लोगों को हाल ही में रिहा किया गया है।

महबूबा मुफ्ती जैसे नेता अब भी हिरासत में

मुख्यधारा के कई अन्य नेता अब भी हिरासत में हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, नैशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव अली मोहम्मद सागर और पूर्व मंत्री नईम अख्तर शामिल हैं। फारूक और उमर ने रिहाई के बाद महबूबा समेत हिरासत में रखे गए सभी लोगों की रिहाई की मांग की थी। हालांकि, इस लिस्ट में भी महबूबा का नाम शामिल नहीं है।

क्या है जन सुरक्षा अधिनियम?

पीएसए उन लोगों पर लगाया जा सकता है, जिन्हें सुरक्षा और शांति के लिए खतरा माना जाता हो। 1978 में शेख अब्दुल्ला ने इस कानून को लागू किया था।

क्या सीएम नीतीश कुमार को बिहार के छात्र–छात्राओं से नफरत है: तेजस्वी

पटना। कोरोना वायरस को लेकर देशभर में लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को उनके घर वापस लाने को लेकर सूबे में सियासत तेज होती जा रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लगातार ये मांग की जा रही है कि कोटा में फंसे छात्रों को बिहार वापस लाया जाए। एक बार फिर से आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार से इस मुद्दे पर सवाल किया है।

तेजस्वी यादव ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, 10 राज्यों ने अपने 25 हजार छात्रों को कोटा से वापस बुला लिया है लेकिन नीतीश जी को पता नहीं बिहार के भविष्य मासूम छात्र–छात्राओं से क्या दिक्कत है? क्या सिर्फ नीतीश जी को छोड़ बाकी मुख्यमंत्रियों को अपने प्रदेशवासियों की बेहद फिक्र है, नहीं है अथवा वो ज्यादा विवेकशील हैं?

देश को तीसरे चरण में जाने से बचाया

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

■भारत में पांच लाख टेस्ट के बाद भी सबसे कम मरीज: पीएम मोदी

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि हम लोगों ने कोरोना संक्रमण के तीसरे दौर यानी सामुदायिक संक्रमण की दशा में पहुंचने से देश को बचा लिया है। कोरोना संक्रमण से निपटने में हम कई देशों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जांच के मामले में हमने अपने तंत्र को मजबूत किया है। हम लोग अब तक 5.5 लोगों की जांच कर चुके हैं। जांच की क्षमता बढ़ने से पाजिटिव मरीजों की संख्या में वृद्धि काफी हद तक घट गई है। अब इनकी संख्या मात्र चार फीसद की दर से बढ़ रही है। हम लोगों को चिंता थी कि क्या हम तीसरी स्टेज में पहुंच गये हैं। लेकिन हम लोगों ने देश को इस स्थिति में जाने से बचा लिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत उन प्रमुख चुनिंदा देशों में से है जहां पांच लाख कोविड–19 टेस्ट करने के बावजूद कोरोना संक्रमण वाले सबसे कम मरीज मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट करके बताया कि नमो एप के यूजर्स अब कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और रोचक तथ्यों को देख सकेंगे।

लॉकडाउन ने किया काम, नहीं तो 2 लाख केस

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए देशभर में लागू हुए लॉकडाउन को एक महीने हो चुके हैं। इन एक महीनों में कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार करीब 3 गुना कम हुई है।

अगर भारत सरकार ने केसों के काफी बढ़ने का इंतजार किए बिना लॉकडाउन का साहसिक फैसला न लिया होता तो आज स्थिति बहुत खराब होती और फिलहाल देश में अभी से करीब 9 गुना ज्यादा केस यानी 2 लाख के पार हो चुके होते।

कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार करीब 3 गुना हुई कम

24 मार्च को देश में कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 500 केस थे। उस समय कोरोना वायरस का डेली ग्रोथ रेट 21.6 प्रतिशत था। 25 अप्रैल को सुबह 8 बजे तक देश में कुल 24,506 केस हैं। डेली ग्रोथ रेट भी घटकर 8.1 प्रतिशत रह गई है यानी करीब एक तिहाई हो गई है। अगले 15 दिनों में यह संख्या बढ़कर 70,000 तक पहुंच जाएगी।

Are you Planning to make a Website or already have ?
If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.

Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in